समाहरणालय, पूर्णियाँ
(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

अल्पकालीन निविदा संख्या–05 / 2014–15

बाढ़ आपदा एवं अग्निकांड से निपटने एवं बचाव कार्य के लिये पूर्णियाँ जिले में पॉलीथीन सीट्स की आवश्यकता है। पॉलीथीन सीट्स क्रय हेतु DGS&D द्वारा निर्धारित **Rate Contract** संख्या–**POLYSHEET/HW-2/RC-H6010000/0915/42/02015/532Dated-09-Sep-14** के आलोक में दर निर्धारण एवं आपूर्त्ति के लिये इच्छुक आपूर्त्तिकर्त्ताओं से एतद् द्वारा सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है :–

निविदादाताओं को मो0–50,000.00 (पचास हजार) रूपये अग्रधन की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा, जो जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के नाम से विकलनीय होगा। निविदा प्राप्ति की **अंतिम तिथि–05.12.2014 को अपराह्न 3 बजे तक आपदा प्रबंधन प्रशाखा, पूर्णियाँ के कार्यालय में निबंधित डाक अथवा सीधे डाली जा सकती है। इसी दिन 5 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जाएगी,** जिसमें स्वयं निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

पॉलीथीन सीट्स का विवरण

क0	आकार	आपूर्त्ति किये जाने वाले समाग्री का नाम	गुणवत्ता	मात्रा	दर
1	4mx5m	पॉलीथीन सीट्स	Low density Polyethylene फिल्म ग्रेड–030 मोटाई–250 Micron (ISI) Black sheets	10,000 (दस हजार) सीट्स	DGS&D द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप (सभी कर, अधिभार, शूल्क, परिवहन व्यय सहित)

निविदा की आवश्यक शर्त्ते :–

1. आपूर्तिकर्त्ता को पॉलीथीन सीट्स की आपूर्त्ति ऊपर दिए गए विवरण के आलोक में DGS & D द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप करनी होगी।
2. तकनीकी निविदा के साथ पैन नम्बर/TIN नम्बर/अद्यतन आयकर भुगतान संबंधी प्रमाण–पत्र/फर्म की अनुज्ञप्ति/अनुभव प्रमाण–पत्र की छायाप्रति/काली सूची में दर्ज नही रहने का शपथ–पत्र मूल में संलग्न करना होगा।
3. तकनीकी निविदा के साथ अग्रधन राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।
4. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
5. आपूरित पॉलीथीन सीट्स DGS & D द्वारा निरीक्षित एवं प्रमाणित होना चाहिए तथा तत्संबंधी सत्यापन प्रमाण पत्र अलग से आपूर्तिकर्ता फर्म को उपलब्ध कराना होगा। इसके बिना आपूर्त्तिकर्त्ता को भुगतान नहीं किया जायेगा।
6. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने एवं निर्धारित दर पर अन्य निविदादाताओं से सामग्रियों की आपूर्त्ति लेने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

7. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद निविदा जमा किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।

8. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाताओं को जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।

9. निविदा संबंधी कोई भी आपत्ति या दावा का निराकरण व्यवहार न्यायालय, पूर्णियाँ के अधीन होगा। विशेष जानकारी के लिये आपदा प्रबंधन प्रशाखा, पूर्णियाँ जिला से सम्पर्क कर सकते है एवं विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाईट **dm.purnea.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है।

10. आपूर्त्तिकर्त्ता को आदेशित सामग्री (निर्दिष्ट गुणवत्ता, आकार एवं मात्रा में) की आपूर्त्ति इस आदेश के निर्गत होने के 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर जिला आपदा प्रबंधन शाखा, पूर्णियाँ समाहरणालय, पूर्णियाँ में करनी होगी, जिसमें विफल रहने पर आपूर्त्तिकर्त्ता के विरूद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही दण्ड राशि (Penalty) की भी कटौति की जायेगी।

11. आपूर्त्ति हेतु कोई अग्रिम अथवा अलग से परिवहन शुल्क देय नहीं होगा।

12. आपूर्त्ति की जानेवाली पॉलीथीन सीट्स की गुणवत्ता की जाँच अपर समाहर्त्ता की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी जिसमें महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णियाँ एवं निरीक्षक, माप–तौल विभाग, पूर्णियाँ गुणवत्ता जाँच समिति के सदस्य होंगे।

13. आपूरित सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा से संतुष्ट होने पर आवश्यक वैधानिक कटौतियों के उपरांत लेखा प्रदायी चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

14. आपूर्त्तिकर्त्ता फर्म द्वारा अद्यतन कर चुकता प्रमाण–पत्र **(Tax Clearance Certificate)** प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् हीं भुगतान किया जायेगा।

ह0/–

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।

ज्ञापांक 591 **/आ0प्र0, पूर्णियॉ, दिनांक** 13/11/2014

प्रतिलिपि :– सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्णियॉ जिला को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णियॉ/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत कसबा एवं बनमनखी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला लेखा पदाधिकारी, पूर्णियॉ/नजारत उप समाहर्त्ता, पूर्णियॉ/सहायक वाणिज्यकर आयुक्त, पूर्णियॉ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णियॉ को विस्तृत प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि दो दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, N.I.C पूर्णियॉ/आई0 टी0 मैनेजर, पूर्णियॉ को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पूर्णियॉ जिला के अधिकारिक वेवसाईट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णियॉ जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निरीक्षक, माप–तौल विभाग, पूर्णियाँ/महाप्रबंधक, जिला उधोग केन्द्र पूर्णियॉ को सूचनार्थ प्रेषित। समाग्री आपूर्ति होते ही आप इसके गुणवत्ता एवं विशिष्टयों की मानक जॉच कर समाग्री के संबंध में प्रमाण पत्र जिला आपदा प्रबंधन शाखा, पूर्णियॉ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, पूर्णियाँ / उप विकास आयुक्त, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को निविदा आदेश की पॉच प्रति एवं सी0डी0 एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– ADG (Q.A.), O/O DGS & D, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।

ज्ञापांक 591 **/आ0प्र0, पूर्णियॉ, दिनांक** 13/11/2014

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है अपने–अपने जिला में निविदा की सूचना का प्रचार–प्रसार कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पूर्णियॉ प्रमंडल, पूर्णियॉ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Raje lu.
12/11/2014

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।